

भारत संघ और अन्य

बनाम

दुध नाथ प्रसाद

4 जनवरी, 2000

[न्यायाधिपति एस. सागहिर अहमद और एस. पी. कुर्दुकर]

सेवा कानून:

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951- धारा 3- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का आरक्षण- आरक्षित रिक्ति के विरुद्ध उम्मीदवार की नियुक्ति- पेरा 5 के निर्देशों की आवश्यकता- भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा 1996- उम्मीदवार को उस राज्य में सामान्य रूप से निवासी होना चाहिए जहाँ उसकी जाति को अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित किया है- आई. ए. एस. परीक्षा के उम्मीदवार का जन्म और शिक्षा बिहार में हुई- परीक्षा से पूर्व पिछले तीस वर्षों से उम्मीदवार के माता- पिता पश्चिम बंगाल में निवासरत थे- राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 341 (1) सपठित अनुच्छेद 366(24) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए "नुनिया जाति" को अनुसूचित जाति के रूप में घोषित किया- निर्णीत, उम्मीदवार पश्चिम बंगाल की "नुनिया जाति" से संबंधित है और आरक्षित रिक्ति के

खिलाफ उचित रूप से नियुक्त किया गया है- भारत का संविधान, 1950-
अनुच्छेद 341 (1) और 336 (24)- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950-
धारा 20।

शब्द और वाक्यांश- 'निवास करते हैं', 'निवास' और 'सामान्य रूप से
निवासरत' रहने का अर्थ।

प्रत्यर्थी भारतीय प्रशासनिक और संबद्ध सेवाएं का सदस्य है। उन्हें
1968 में एक आरक्षित रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त किया गया था क्योंकि
उन्हें "नुनिया" समुदाय से संबंधित माना जाता था, जिसे पश्चिम बंगाल
राज्य में अनुसूचित जाति समुदाय घोषित किया गया था। प्रत्यर्थी का
जन्म और शिक्षा बिहार राज्य में हुई थी। परन्तु उसके माता पिता
आईएएस परीक्षा के 30 वर्ष पूर्व से पश्चिम बंगाल राज्य में निवास करते
थे।

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने प्रत्यर्थी के अनुसूचित जाति प्रमाण
पत्र को चुनौती दी। प्रत्यर्थी ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष यह
तर्क दिया कि वह "नुनिया जाति" से संबंधित है और परीक्षा के समय
उसके द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा
विधिवत जांचा और सत्यापित किया गया था और उप- मंडल अधिकारी,
हावड़ा द्वारा उचित रूप से जारी किया गया था, क्योंकि उसके माता- पिता
परीक्षा की तारीख के 30 वर्ष पूर्व से उस राज्य में रह रहे थे।

न्यायिक सदस्य प्रत्यर्थी से सहमत थे लेकिन प्रशासनिक सदस्य ने असहमतिपूर्ण निर्णय दिया। आदेश से व्यथित, प्रत्यर्थी ने एक दावा याचिका दायर की। याचिका को यह मानते हुए अनुमति दी गई थी कि प्रत्यर्थी "नुनिया" जाति से संबंधित था, जिसे केवल पश्चिम बंगाल राज्य में अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित किया गया था। प्रत्यर्थी के माता- पिता सामान्यतः हावड़ा में निवास करते थे, जहाँ से प्रत्यर्थी द्वारा जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया था, जो कि एक उचित और वैध प्रमाण पत्र। इसलिए यह अपील की गई है।

अपील को खारिज करते हुए, इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि:

1.1 सिविल सेवा परीक्षा के संबंध में "निर्देश" के पैरा संख्या 5 में निर्धारित आवश्यकताओं को लागू करते हुए इस मामले में, यह पाया जाता है कि चूंकि प्रत्यर्थी के माता- पिता प्रश्नगत परीक्षा से पूर्व 30 साल से अधिक समय तक जिला हावड़ा में निवास करते थे, तो जिला अधिकारी या उप- मंडल अधिकारी कानूनी रूप से जाति प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं और यह भी प्रमाणित कर सकते थे कि उनके माता- पिता आम तौर पर हावड़ा जिले में निवास करते हैं। ऐसी स्थिति में, प्रत्यर्थी के पास उप-मंडल अधिकारी, हावड़ा से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के अलावा कोई विकल्प

नहीं था, क्योंकि वे पूर्व में ही यू. पी. एस. सी. द्वारा जारी किये गए "निर्देशों" से हट नहीं सकते थे। [8- डी- ई; एफ]

1.2. यह निर्धारित करने में कि क्या कोई व्यक्ति सामान्य रूप से विशेष निर्वाचन क्षेत्र में रह रहा था, उप- धारा 20- (1) (1 अ) में उल्लिखित कारक से स्थिति का निर्धारण नहीं होगा। यह अन्य सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करके ही निर्धारित होना चाहिए। यह बात अधिनियम की धारा 20 (7) से स्पष्ट होती है।

1.3. प्रत्यर्थी के माता- पिता एक समय में बिहार राज्य के सिवान जिले में रहते थे और वहाँ उनकी कुछ संपत्तियाँ भी थी। वे बहुत पहले पश्चिम बंगाल राज्य में स्थानांतरित हो गए थे और वहाँ तब से रह रहे थे। इसलिए, सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए, वे सामान्य रूप से पश्चिम बंगाल राज्य में रहने वाले माने जाते होंगे। राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 341 (1) सपठित 366 (24) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पश्चिम बंगाल राज्य में पहले ही "नूनिया" जाति को एक अनुसूचित जाति घोषित कर दिया गया था और इसलिए, प्रत्यर्थी को अनुसूचित जाति का मान कर उचित किया गया था और यूपीएससी द्वारा 1966 में भारतीय प्रशासनिक और संबद्ध सेवाएं के लिए आयोजित परीक्षा में सफल घोषित होने के बाद उम्मीदवार को आरक्षित रिक्ति के खिलाफ सही नियुक्त किया गया था। [15- ई- जी]

2.1. "निवास करते हैं" शब्द को "स्थायी रूप से या काफी समय तक निवास करना; अपना स्थायी या सामान्य निवास स्थान रखना; किसी विशेष स्थान में या पर रहना" से परिभाषित किया गया है। इसलिए, इसका अर्थ न केवल उस स्थान को शामिल करता है जहां व्यक्ति का स्थायी निवास है, बल्कि वह स्थान भी शामिल है जहां व्यक्ति "काफी समय" तक रहा है। इसका अर्थ यह भी है कि "रहना, बसना, निवास करना, प्रवास करना, रुकना, रहना, टिकना; अपने आप को या किसी चीज़ को एक स्थान पर व्यवस्थित करना; स्थिर होना, रहना या रुकना, स्थायी रूप से या लगातार निवास करना, एक समय के ऊपर बसना, किसी का निवास या अधिवास है; विशेष रूप से, निवास में होना, एक स्थायी स्थान होना, एक तत्व के रूप में मौजूद होना, एक गुणवत्ता के रूप में यहाँ होना, एक अधिकार के रूप में निहित होना। " [11- ई- जी]

2.2. "निवास" शब्द को " व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए निवास का कोई स्थान जिसका निश्चित और जल्दी हटाने का कोई वर्तमान इरादा नहीं है और अनिर्धारित अवधि के लिए रहने के उद्देश्य से, कभी- कभी नहीं, लेकिन स्थायी रूप से रहने के लिए डिजाइन के साथ आवश्यक रूप से संयुक्त नहीं है" के रूप में परिभाषित किया गया है। [11- जी- एच]

2.3. यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी व्यक्ति को "सामान्य रूप से निवासरत" तभी कहा जा सकता है जब किसी विशेष स्थान पर रहने के

लिए, उस व्यक्ति का उस स्थान पर काफी लंबे समय तक रहने का इरादा हो। इसमें क्षणस्थायी मुलाकात या उस स्थान पर एक छोटी या आकस्मिक उपस्थिति शामिल नहीं होगी। चूंकि प्रत्यर्थी के माता- पिता 30 वर्षों से अधिक समय से हावड़ा जिले में रह रहे थे, इसलिए उन्हें उस जिले में "सामान्य रूप से रहने वाला" माना जाएगा और केवल यह तथ्य कि उनके पास बिहार राज्य के सिवान जिले के एक गाँव में कुछ संपत्ति थी, उनकी स्थिति को प्रभावित नहीं करेगा। [12- बी- सी; 8- ई] जागीर कौर और अन्य बनाम जसवंत सिंह, [1964] 2 एस.सी.आर 73, का भी उल्लेख किया गया है। ऑक्सफोर्ड शब्दावली; ब्लैक लॉ शब्दावली, V संस्करण, का भी उल्लेख किया गया है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार सिविल अपील सं. 1387/1991।

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, पटना के ओ. ए. सं. 444/1986 में निर्णय और आदेश दिनांकित 15.12.87 से।

अपीलार्थी की ओर से पी. पी. मल्होत्रा, सुश्री नंदिनी गोरे और पी. परमेस्वरन।

प्रत्यर्थी की ओर से सुश्री अंबिका प्रताप सिंह, एस. पी. सिन्हा, मधु सरन और ए. शरण। न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति एस. सागहिर अहमद द्वारा दिया गया था।

प्रत्यर्थी भारतीय प्रशासनिक और संबद्ध सेवाएँ के सदस्य हैं। उन्हें 1968 में एक आरक्षित रिक्ति के खिलाफ नियुक्त किया गया था क्योंकि उन्हें "नुनिया" समुदाय से संबंधित माना जाता था जिसे की पश्चिम बंगाल राज्य में अनुसूचित जाति समुदाय के रूप में घोषित किया गया था ना कि बिहार राज्य में जहाँ प्रत्यर्थी का जन्म हुआ और स्कूली शिक्षा से स्नातक स्तर तक की शिक्षा रही। यही कारण था कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने प्रत्यर्थी को लिखा कि उसे अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह पत्र प्रत्यर्थी को तब प्राप्त हुआ जब वह उप महालेखाकार के रूप में कार्यरत था और उसे कोलंबो योजना के तहत यूनाइटेड किंगडम में वित्तीय अध्ययन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए चुना गया था। उन्हें उपरोक्त पत्र तब प्राप्त हुआ जब उसने सभी तैयारियां कर ली थीं और यूनाइटेड किंगडम के लिए हवाई टिकट भी खरीद लिया था, जिसने उनके कार्यक्रम को बाधित कर दिया।

उस स्तर पर, प्रत्यर्थी ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण से संपर्क किया, जहां उसने तर्क दिया कि वह "नूनिया" जाति से है और उसने परीक्षा के दौरान जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था, जिसे संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जांचा और सत्यापित किया गया था (यूपीएससी, संक्षेप में), और उप- विभागीय अधिकारी, हावड़ा द्वारा उचित रूप से जारी किया गया था, क्योंकि उनके माता- पिता संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित करने की तारीख से 30 वर्ष पूर्व से उस राज्य में रह रहे थे।

उनके इस तर्क को अधिकरण के न्यायिक सदस्य ने स्वीकार कर लिया, लेकिन प्रशासनिक सदस्य सहमत नहीं हुए और असहमतिपूर्ण निर्णय दिया। परिणामस्वरूप, मामला अध्यक्ष को भेजा गया, जिन्होंने अपने निर्णय और आदेश दिनांकित 15.2.1987, जो इस अपील में विवादित है, द्वारा न्यायिक सदस्य से सहमति व्यक्त की और पाया कि प्रत्यर्थी "नूनिया" जाति से था, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में अनुसूचित जाति के रूप में विधिवत अधिसूचित था। और यह भी पाया गया कि प्रत्यर्थी के माता-पिता का सामान्य निवास स्थान हावड़ा था जहां से प्रत्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था, जो एक उचित और वैध प्रमाण पत्र था। दावा याचिका को इन निष्कर्षों के साथ अनुमति दी गई थी और इस फैसले के खिलाफ भारत संघ हमारे सामने अपील में आया है।

भारत संघ के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पीपी मल्होत्रा ने तर्क दिया है कि दावा याचिका को अनुमति देते समय अधिकरण ने इस महत्वपूर्ण तथ्य के वास्तविक प्रभाव पर विचार न करके एक स्पष्ट त्रुटि की है कि प्रत्यर्थी का जन्म बिहार राज्य के सिवान जिले के एक गाँव में हुआ था जहाँ उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भी प्राप्त की। उन्होंने बिहार के एक विश्वविद्यालय से स्नातक भी किया था और इसलिए, सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए, उन्हें बिहार के "नूनिया" समुदाय के सदस्य के रूप में माना जाना था, जिसे उस राज्य के लिए अनुसूचित जाति घोषित नहीं किया गया था।

इसके विपरीत, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इस स्वीकृत स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि प्रत्यर्थी के माता- पिता यूपीएससी द्वारा परीक्षा आयोजित करने की तारीख से 30 वर्ष पूर्व से हावड़ा जिले में रह रहे थे, उनका स्थान सामान्य निवास स्थान जिला हावड़ा था, यह प्रस्तुत किया कि उप- विभागीय अधिकारी, हावड़ा द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र उचित और वैध था और उस आधार पर उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी और चयनित होने पर, सेवा में उचित रूप से नियुक्त किया गया था।

अधिकरण द्वारा स्थापित तथ्य इस प्रकार हैं:

(अ) माना जाता है, प्रत्यर्थी और उसके माता- पिता "नुनिया" जाति से हैं जिसे पश्चिम बंगाल राज्य में "अनुसूचित जाति" घोषित किया गया है लेकिन बिहार राज्य में नहीं।

(बी) प्रत्यर्थी के माता- पिता प्रत्यर्थी के भारतीय प्रशासनिक और संबद्ध सेवाओं में शामिल होने से पूर्व 30 वर्षों से अधिक समय से लगातार पश्चिम बंगाल के जिला हावड़ा में रह रहे थे।

(सी) प्रत्यर्थी के माता- पिता, पश्चिम बंगाल आने से पूर्व, बिहार राज्य के सिवान जिले के चांचोपाली गांव में रहते थे, जहां उनके पास कुछ संपत्ति भी थी।

(डी) (i) प्रत्यर्थी का जन्म उस गांव में 3.2.1940 को हुआ था।

(ii) प्रत्यर्थी ने अपनी स्कूली शिक्षा बिहार में की और स्नातक भी बिहार के एक कॉलेज से किया।

(iii) प्रत्यर्थी सीमा शुल्क कार्यालय (कस्टम्स हाउस), कलकत्ता की सेवा में शामिल हुआ।

(iv) सीमा शुल्क कार्यालय (कस्टम्स हाउस), में काम करते समय, प्रत्यर्थी ने "अनुसूचित जाति" प्रमाण पत्र के लिए उपमंडल अधिकारी, सदर, हावड़ा में आवेदन किया था जो उसे दिनांक 16.7.1965 को जारी किया गया था।

(v) प्रत्यर्थी ने आईएएस परीक्षा के लिए एक उम्मीदवार के रूप में संघ लोक सेवा आयोग में आवेदन किया। उन्होंने दावा किया कि वह "नूनिया" जाति से हैं, जो पश्चिम बंगाल राज्य में अनुसूचित जाति समुदाय घोषित है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके माता- पिता आमतौर पर जिला हावड़ा, पश्चिम बंगाल में रहते थे।

(vi) संघ लोक सेवा आयोग ने आवश्यक पूछताछ की और अपने पत्र दिनांक 6.2.1967 के द्वारा प्रत्यर्थी को "नूनिया" जाति के उम्मीदवार के रूप में स्वीकार कर लिया, जो पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में एक अनुसूचित जाति थी, और इस प्रकार प्रत्यर्थी की भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि, 1966 के उम्मीदवारी की पुष्टि की।

(vii) प्रत्यर्थी ने परीक्षा में अर्हता प्राप्त की और सरकार द्वारा उनके चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के बाद, उन्हें वर्ष 1968 में अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के रूप में एक आरक्षित रिक्ति के खिलाफ भारतीय प्रशासनिक और संबद्ध सेवाओं में नियुक्त किया गया।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि चूंकि प्रत्यर्थी के माता- पिता मूल रूप से बिहार राज्य के थे, जहां उनके पास संपत्ति भी थी और जहां प्रत्यर्थी का जन्म और पालन- पोषण हुआ और शिक्षा भी मिली, इसलिए न ही उसे पश्चिम बंगाल का निवासी माना जा सकता है और न ही उसके माता-पिता को सामान्य रूप से पश्चिम बंगाल में रहने वाला माना जा सकता है और इसलिए, "नुनिया" समुदाय के पक्ष में आरक्षण का लाभ, जो कि अकेले पश्चिम बंगाल राज्य में एक अनुसूचित जाति समुदाय था, प्रत्यर्थी को उपलब्ध नहीं होगा। आइए हम इस विवाद की खूबियों की जांच करें।

भारत सरकार के अधिकार के तहत प्रकाशित भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि परीक्षा, 1966 के लिए जारी पुस्तिका में निहित "उम्मीदवारों के लिए निर्देश" का पैरा 5, निम्नानुसार है:

"5. एक उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में से किसी एक से संबंधित होने का दावा करता है, उसे अपने दावे के समर्थन में, जिला- अधिकारी या उप-

विभागीय अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी जहां उसके माता- पिता (या जीवित माता- पिता) सामान्यतः निवास करते हैं, यदि उसके माता- पिता दोनों मर चुके हैं, उस जिले में, जहां वह स्वयं अपनी शिक्षा के प्रयोजन के अलावा किसी अन्य उद्देश्य से सामान्य रूप से रहता है, वह अधिकारी जिसे राज्य सरकार द्वारा इस तरह का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम के रूप में नामित किया गया है, नीचे दिए गए फॉर्म में मूल प्रमाण पत्र जमा करना चाहिए।"

दिल्ली राज्य का उम्मीदवार अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, वृत्तिकाग्राही मजिस्ट्रेट या राजस्व सहायक से भी ऐसा प्रमाण पत्र जमा कर सकता है।

जिस फॉर्म पर अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र जारी किया जाना है उसका प्रोफार्मा ऊपर उल्लिखित पैरा 5 में दिया गया है। इसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र का प्रपत्र।

"यह प्रमाणित किया जाता है कि.....पुत्रगांव-जिला/संभाग.....राज्यउस समुदाय से संबंधित है जिसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1956 सपठित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन) आदेश, 1956, संविधान (जम्मू और कश्मीर- मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956 और संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959 के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। श्री.....और/या उसका परिवार आमतौर पर.....जिले/मंडल.....राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में रहता है।

हस्ताक्षर.....

दिनांक: कार्यालय की मुद्रा के साथ पदनाम

सील राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

ध्यान दें: यहां प्रयुक्त 'सामान्य निवास' शब्द का वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।"

"निर्देश" के पैरा 5 के अनुसार, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र उस जिले के जिला अधिकारी या उप- विभागीय अधिकारी आदि द्वारा जारी

किया जाना चाहिए जिसमें उम्मीदवार के माता- पिता "सामान्यत रहते हैं"। यदि उम्मीदवार स्वयं अपनी शिक्षा के उद्देश्य से कहीं और निवास कर रहा है, तो भी उसे उस जिले के जिला अधिकारी आदि का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है जिसमें उसके माता- पिता "सामान्यत निवास करते थे"। हालाँकि, यदि माता- पिता दोनों की मृत्यु हो गई है, तो उम्मीदवार उस जिले के जिला अधिकारी आदि का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकता है, जहाँ उम्मीदवार स्वयं, शिक्षा के उद्देश्य से अन्यथा, "सामान्यत निवास कर रहा था"।

इस मामले के तथ्यों पर "निर्देश" के पैरा 5 में निर्धारित आवश्यकताओं को लागू करने पर, यह पाया जाता है कि चूंकि प्रत्यर्थी के माता- पिता, परीक्षा से पूर्व 30 से अधिक वर्षों से जिला हावड़ा में रह रहे थे जिला अधिकारी या, इस मामले में उप- विभागीय अधिकारी, कानूनी रूप से जाति प्रमाण पत्र जारी कर सकता है और यह भी प्रमाणित कर सकता है कि उसके माता- पिता जिला हावड़ा में "सामान्य रूप से निवास कर रहे थे"। केवल यह तथ्य कि प्रत्यर्थी, शिक्षा के प्रयोजनों के लिए, बिहार के राज्य में रहा और उस राज्य के एक कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, उसके माता- पिता की स्थिति को प्रभावित नहीं करेगा जो पहले से ही 30 वर्षों से अधिक समय से जिला हावड़ा में रह रहे थे और परिणामस्वरूप उन्हें जिला हावड़ा में "सामान्य रूप से रहने वाले" के रूप में माना जाएगा। उनकी स्थिति, प्रत्यर्थी के शिक्षा के उद्देश्य से बिहार

राज्य में, अस्थायी निवास करने से प्रभावित नहीं होगी। ऐसी स्थिति में, प्रत्यर्थी के पास उप- विभागीय अधिकारी, हावड़ा से प्रमाणपत्र प्राप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वह यूपीएससी द्वारा पहले ही जारी किए गए "निर्देश" से हट नहीं सकता था।

अधिकरण ने यह पाया है कि प्रत्यर्थी के माता- पिता जिला हावड़ा में बस गए थे और लगभग 30 वर्षों से वहां रह रहे थे। इसलिए, वे सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए, हावड़ा में "सामान्यत निवास" कर रहे थे। जिस परीक्षा में प्रत्यर्थी उपस्थित हुआ था वह 1966 में भारतीय प्रशासनिक और संबद्ध सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षा थी जो प्रत्यर्थी के माता- पिता के हावड़ा जिले में बसने के 30 साल बाद आयोजित की गई थी।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि "निर्देश" के पैराग्राफ 5 से जुड़े "नोट" के मद्देनजर, "सामान्य रूप से निवास" शब्द का वही अर्थ दिया जाना चाहिए जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है और यदि उस अर्थ को ध्यान में रखा जाता है, तो प्रत्यर्थी को पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित नहीं कहा जा सकता है और परिणामस्वरूप वह उस अधिसूचना का लाभ नहीं उठा सकता है जिसके द्वारा "नूनिया" समुदाय को उस राज्य में अनुसूचित जाति घोषित किया गया था। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20, निम्नानुसार प्रदान करती है:

20. 'मामूली तौर से निवासी' का अर्थ:

(1) किसी व्यक्ति के बाबत केवल इस कारण की वह निर्वाचन क्षेत्र के किसी घर पर स्वामित्व या कब्जा रखता है यह नहीं समझा जाएगा कि वह उस निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है।

(1 क) अपने सामान्यतः निवास स्थान में, केवल अपने आपको अस्थायी रूप से अनुपस्थित रखने के कारणवश यह नहीं समझा जाएगा कि, वह वहाँ का सामान्यतः तौर से निवासी नहीं रह गया है।

(1 ख) संसद का या किसी राज्य के विधान मंडल का जो सदस्य ऐसे सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन के समय जिस निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक के रूप में पंजीकृत है, उसके बाबत, इस कारण कि वह ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के संबंध में उस निर्वाचन क्षेत्र से अनुपस्थित रहा है यह नहीं समझा जाएगा कि वह अपनी पदावधि के दौरान उस निर्वाचन क्षेत्र में सामान्यतः तौर से निवासी नहीं रह गया है।

(2) जो व्यक्ति मानसिक रोग या मनोवैकल्य से पीड़ित व्यक्तियों के रखने और चिकित्सा के लिए पूर्णतः या मुख्यतः पोषित किसी स्थापना में चिकित्साधीन है या जो किसी स्थान में, कारागार में या अन्य विधिक अभिरक्षा में निरुद्ध है, उसके बारे में केवल इसी कारणवश यह नहीं समझा जाएगा कि वह यहाँ सामान्यतः तौर से निवासी है।

(3) किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में, जो सेवा अर्हता रखता है, यह समझा जाएगा कि वह किसी तारीख को उस निर्वाचन क्षेत्र में सामान्यतः तौर से निवासी है, जिसमें, यदि उसकी ऐसी सेवा अर्हता न होती तो, वह उस तारीख को सामान्यतः तौर से निवासी होता।

(4) भारत में कोई भी ऐसा पद, जिसे राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग के परामर्श से ऐसा पद घोषित किया है जिस पर इस उपधारा के प्रावधान लागू होते हैं,

धारण करने वाला व्यक्ति उस निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी तारीख को सामान्यतः तौर पर निवासी माना जाएगा जिसमें, लेकिन ऐसे किसी भी पद को धारण करने के लिए, वह उस तिथि पर सामान्यतः निवासी होता।

(5) ऐसे किसी भी व्यक्ति का बयान, जैसा कि निर्धारित प्रपत्र के उपधारा (3) या उपधारा (4) में निर्दिष्ट है और निर्धारित तरीके से सत्यापित किया गया है, लेकिन उसके पास सेवा योग्यता है या उपधारा (4) में निर्दिष्ट, किसी भी ऐसे पद को धारण करने के लिए वह किसी भी तिथि पर एक निर्दिष्ट स्थान पर सामान्य रूप से निवासी रहा होगा, इसके विपरीत साक्ष्य के अभाव में, इसे सही माना जाएगा।

(6) उपधारा (3) या उपधारा (4) में निर्दिष्ट है, किसी भी व्यक्ति की पत्नी, यदि वह ऐसे व्यक्ति के साथ सामान्य रूप से करती है, तो उसे ऐसे

व्यक्ति द्वारा उपधारा (5) के तहत निर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य रूप से निवासी माना जाएगा।

(7) यदि किसी मामले में यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति किसी भी प्रासंगिक समय पर सामान्य रूप से निवासी है, तो प्रश्न का निर्धारण मामले के सभी तथ्यों और ऐसे नियमों के संदर्भ में किया जाएगा, जो केंद्र सरकार द्वारा चुनाव आयुक्त से परामर्श कर, इस संबंध में बनाए जा सकते हैं।

(8) उपधारा (3) एवं (5) में "सेवा योग्यता" का अर्थ है-

(क) संघ के सशस्त्र बलों का सदस्य होना; या

(ख) किसी बल का सदस्य होना, जिस पर सेना अधिनियम 1950 (1950 का 46) के प्रावधान संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के लागू होते हैं; या

(ग) किसी राज्य के सशस्त्र पुलिस बल का सदस्य होने के नाते, जो उस राज्य के बाहर सेवा दे रहा है; या

(घ) ऐसा व्यक्ति जो भारत सरकार के अधीन भारत से बाहर किसी पद पर कार्यरत हो।

धारा 20 जो संसद या राज्य विधानमंडल के चुनाव के प्रयोजनों के लिए अधिनियमित कानून का हिस्सा है, सेवा में शामिल लोगों सहित व्यक्तियों की कई श्रेणियों पर विचार करती है। इसमें बताया गया है कि

कब उन्हें किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में "सामान्य रूप से निवासरत" माना जाएगा। धारा 20 की उपधारा (1) और उपधारा (1 क) नकारात्मक भाषा में लिखी गई हैं। धारा 20 की उप- धारा (1) में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में आवास गृह रखता है या उसके कब्जे में है, तो केवल उस आधार पर, उसे उस निर्वाचन क्षेत्र में "सामान्य रूप से निवासरत" नहीं माना जाएगा। उप- धारा (1 क) में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति की उसके "साधारण निवास" के स्थान से अस्थायी अनुपस्थिति अप्रभावी होगी और कोई व्यक्ति केवल उस कारण से उस निर्वाचन क्षेत्र में बतौर "सामान्यतः निवासरत" से वंचित नहीं रहेगा। इस प्रकार इस प्रश्न का निर्धारण करने में कि क्या कोई व्यक्ति सामान्य रूप से किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में रह रहा था धारा 20 की उपधारा (1) और उपधारा (1 क) में उल्लिखित कारक अकेले स्थिति का निर्धारक नहीं होंगे और इस प्रश्न को अन्य सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करके ही निर्धारित किया जाएगा। यह धारा 20 की उप- धारा (7) को पढ़ने से भी स्पष्ट है, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति प्रासंगिक समय पर किसी निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास कर रहा था, तो इसका निर्धारण मामले के तथ्यों के साथ- साथ केंद्र सरकार द्वारा चुनाव आयुक्त के परामर्श से बनाये गए नियमों के संदर्भ में किया जाएगा।

ऑक्सफ़ोर्ड डिक्शनरी में "निवास करते हैं" शब्द को "स्थायी रूप से या काफी समय तक निवास करना; अपना स्थायी या सामान्य निवास

स्थान रखना; किसी विशेष स्थान में या पर रहना" से परिभाषित किया गया है। इसलिए, इसका अर्थ न केवल उस स्थान को शामिल करता है जहां व्यक्ति का स्थायी निवास है, बल्कि वह स्थान भी शामिल है जहां व्यक्ति "काफी समय" तक रहा है।

ब्लैक लॉ डिक्शनरी, के 5 वें संस्करण में, "निवास करते हैं" शब्द को निम्नलिखित अर्थ दिया गया है:

"रहना, बसना, निवास करना, प्रवास करना, रुकना, रहना, टिकना; अपने आप को या किसी चीज़ को एक स्थान पर व्यवस्थित करना; स्थिर होना, रहना या रुकना, स्थायी रूप से या लगातार निवास करना, एक समय के ऊपर बसना, किसी का निवास या अधिवास है; विशेष रूप से, निवास में होना, एक स्थायी स्थान होना, एक तत्व के रूप में मौजूद होना, एक गुणवत्ता के रूप में यहाँ होना, एक अधिकार के रूप में निहित होना। "

उसी शब्दकोश में, "निवास" शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

"किसी निवास स्थान पर निश्चित और शीघ्र न हटाने के उद्देश्य के साथ व्यक्तिगत उपस्थिति और अनिश्चित अवधि के लिए रहने के उद्देश्य से, निवास के किसी स्थान पर

व्यक्तिगत उपस्थिति, निश्चित और शीघ्र हटाने के वर्तमान इरादे के बिना और अनिश्चित अवधि के लिए रहने के उद्देश्य से, कभी-कभार नहीं, लेकिन जरूरी नहीं कि स्थायी रूप से रहने के डिजाइन के साथ संयुक्त हो। शारीरिक उपस्थिति और एक जगह में रहने का इरादा, एक जगह पर रहने के लिए बैठना, बसना, रहना, निवास के तथ्य और शेष रहने के तथ्य और इरादे से बना है, और वह कृत्यों और इरादे का एक संयोजन है। निवास का तात्पर्य महज़ शारीरिक उपस्थिति से कुछ ज्यादा और अधिवास से कुछ कम है। "

यदि ऊपर उल्लिखित दो अर्थों को "सामान्यतः" शब्द के साथ पढ़ा जाए, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी व्यक्ति को, किसी विशेष स्थान पर "सामान्यतः निवास करने वाला" कहने से पहले, उस वह स्थान काफ़ी लम्बे समय तक रहने का इरादा होना चाहिए। इसमें क्षणस्थायी मुलाकात या उस स्थान पर संक्षिप्त या आकस्मिक उपस्थिति शामिल नहीं होगी।

जागीर कौर और अन्य बनाम जसवन्त सिंह, [1964] 2 एस.सी.आर. 73, के मामले में इस न्यायालय द्वारा, भरण-पोषण के लिए पत्नी की याचिका पर विचार करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 488 के तहत मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र के संदर्भ में, "निवास करते हैं" शब्द

पर विचार किया गया। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में "निवास करते हैं" शब्द के अर्थ पर विचार करने के बाद, जिसे हम पहले ही ऊपर स्थापित कर चुके हैं, न्यायालय ने निम्नानुसार कहा:

"उन्होंने कहा, इसलिए, एक स्थान पर स्थायी निवास के साथ- साथ अस्थायी निवास दोनों के अर्थ को शामिल करता है। इसलिए, यह विभिन्न अर्थों में सक्षम है, जिसमें सख्त और सबसे तकनीकी अर्थ में अधिवास और अस्थायी निवास शामिल है। जो भी अर्थ इसे दिया गया है, एक बात स्पष्ट है और वह यह है कि इसमें किसी विशेष स्थान पर आकस्मिक प्रवास या क्षणस्थायी मुलाकात शामिल नहीं है। संक्षेप में, शब्द का अंतिम विश्लेषण में अर्थ, इस पर निर्भर करेगा की किसी विशेष कानून का संदर्भ और उद्देश्य क्या है। इस मामले में वर्तमान कानून का संदर्भ और उद्देश्य निश्चित रूप से अधिवास की अवधारणा को उसके तकनीकी अर्थ में आयात करने के लिए बाध्य नहीं करता है। "

(जोर दिया गया)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में निहित वैधानिक प्रावधानों के साथ- साथ "निर्देश" के पैराग्राफ 5 में निहित प्रावधानों के आलोक में इस मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, चूंकि,

माना जाता है कि, प्रत्यर्थी के माता- पिता 30 वर्षों से अधिक समय से हावड़ा जिले में रह रहे हैं, उन्हें उस जिले में "सामान्य रूप से निवासरत" माना जाएगा और केवल इस तथ्य से कि उनके पास बिहार राज्य के सिवान जिले के एक गांव में कुछ संपत्ति है, उनके परिवार की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून में समझी गई 'अधिवास' की अवधारणा को अपने तर्कों में शामिल करने का प्रयास किया और तर्क दिया कि किसी व्यक्ति को किसी विशेष स्थान पर "सामान्य रूप से निवासरत" कहने से पहले, उसे 'अधिवास' का गठन करने वाली सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट करना चाहिए। उन्होंने आगे तर्क दिया कि चूंकि प्रत्यर्थी का जन्म बिहार राज्य के एक गांव में हुआ था, इसलिए उसे उसी राज्य का मूल निवासी माना जाएगा। हम इस तर्क को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं।

टॉमलिन के लॉ डिक्शनरी में, "अधिवास" को "वह स्थान जहां एक आदमी का अपना घर है" के रूप में परिभाषित किया गया है।

विकर बनाम ह्यूम, 28 एल.जे. अध्याय 396, में यह माना गया कि किसी व्यक्ति के अधिवास का अर्थ, सामान्य रूप से, वह स्थान है जहाँ उसका स्थायी घर है।

एम.सी. मुलेन बनाम वड्सवर्थ, 14 ए.सी. 631 में, यह देखा गया कि रोमन कानून अभी भी मानता है कि 'नग्न दावे से नहीं बल्कि कर्मों और कृत्यों से एक अधिवास स्थापित होता है'।

विनन्स बनाम ए.जी., (1904) ए.सी. 290 में लॉर्ड मैकनाघ्टन ने कहा कि "मूल निवास, या, जन्म का निवास, जैसा कि इसे कभी- कभी कहा जाता है, शायद कम सटीक रूप से, मुख्य रूप से पसंद के निवास स्थान से भिन्न होता है- कि इसका चरित्र अधिक स्थायी है, इसकी पकड़ मजबूत है और कम आसानी से छूट जाती है।

रॉस बनाम रॉस, (1930) ए.सी., 1 में, लॉर्ड बकमास्टर ने अधिवास परिवर्तन से संबंधित एक मामले से निपटते समय कहा कि "इरादे की घोषणाओं को अधिवास परिवर्तन के प्रश्न का निर्धारण करने के रूप में सही माना जाता है, लेकिन उन्हें जिस व्यक्ति के लिए, जिस उद्देश्य के लिए, और जिन परिस्थितियों में वे बनाए गए हैं, उन पर विचार करके जांच की जाती है, और उन्हें घोषित अभिव्यक्ति के अनुरूप आचरण और कार्रवाई द्वारा और मजबूत और प्रभावी किया जाना चाहिए।

दूसरे मामले में, नामतः, रामसे बनाम लिवरपूल रॉयल इन्फर्मरी, (1930) ए.सी. 538 में लॉर्ड डुनेडिन ने पृष्ठ 594 पर पाया कि "अधिवास बदलने की दुश्मनी का अनुमान निवास के तथ्य से लगाया जा सकता है।"

व्युत्पत्ति के अनुसार, "निवास" और "अधिवास" का एक ही अर्थ है, हालाँकि दोनों 'स्थायी घर' को संदर्भित करते हैं, लेकिन निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत, "अधिवास" थोड़ा अलग अर्थ रखता है और कई पहलुओं को प्रदर्शित करता है। स्थायी घर होने के बावजूद, एक व्यक्ति के पास वाणिज्यिक, राजनीतिक या फॉरेंसिक अधिवास हो सकता है। 'अधिवास' के भी कई प्रकार हो सकते हैं; मूल का अधिवास, पसंद का अधिवास, कानून के संचालन द्वारा अधिवास या निर्भरता का अधिवास हो सकता है। निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून की न्यायशास्त्रीय दृष्टि से "अधिवास" पूरी तरह से अलग है। यह कानूनों के टकराव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस विषय पर डाइसी ने अपनी पुस्तक "कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज़" (छठे संस्करण) के साथ-साथ फिलिमोर की अधिवास पर लिखी एक अन्य पुस्तक में भी विस्तार से विचार किया है। फुटे द्वारा निजी अंतर्राष्ट्रीय न्यायशास्त्र और वेस्टलेक द्वारा निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून पर समान रूप से मूल्यवान चर्चा पाई जाती है।

इस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए हम न्यायमूर्ति पी.बी. मुखर्जी (टैगोर लॉ लेक्चर्स) द्वारा लिखित "न्यू ज्यूरिसप्रुडेंस (आधुनिक कानून का व्याकरण) से कुछ शब्द उद्धृत कर सकते हैं, जो निम्नानुसार हैं:

अधिवास से संबंधित कुछ सिद्धांतों ने आम कानून वाले देशों में मजबूती से जड़ें जमा ली हैं। उडनी बनाम उडनी, (1869) एल.आर. 1

एस.सी. अनुप्रयोग 441 के प्रसिद्ध मामले के आलोक में सिद्धांतों को प्रस्तावों के रूप में बताया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के बारे में हमेशा यह कहा जाना चाहिए कि उसके पास अधिवास है। एक समय में एक ही अधिवास हो सकता है और कोई भी व्यक्ति एक से अधिक अधिवास नहीं रख सकता। दूसरे, मूल प्रश्न यह है कि कुछ तथ्य अधिवास का गठन करते हैं या नहीं, यह आमतौर पर नगरपालिका कानून अनुसार देश की न्यायालय के द्वारा तय किया जाता है। स्वाभाविक रूप से, लेक्स फोरी, रेनवोई, जहां अधिवास जोड़ने वाला कारक है, इस प्रश्न में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसडागली बनाम कैसडागली, (1919) ए.सी. 145। लेकिन निजी अंतरराष्ट्रीय न्यायशास्त्र का कठिन बिंदु यह है कि कानून के चुनाव की पूरी समस्या को अभी तक इस सवाल का निर्धारण करने में शामिल नहीं किया गया है कि किसी व्यक्ति की अधिवास प्राप्त करने की क्षमता को किस कानून द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। (इन रे: वैलाच, (1950) 1 इलाहाबाद ई.आर. 199. जाहिर तौर पर निजी अंतरराष्ट्रीय न्यायशास्त्र में यह अंतर भरने का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। यह बिल्कुल संभव है कि कानून का एक ही विकल्प इस क्षेत्र में सभी प्रकार के मामलों को नियंत्रित नहीं कर सकता है। अधिवास का शास्त्रीय विभाजन सर्वविदित है। उत्पत्ति का निवास, पसंद का निवास और निर्भरता का निवास स्थान हैं। इन तीन अधिवासों की आवश्यक अवधारणा में थोड़ा बदलाव आया है। अधिवास और निवास अलग-अलग है और,

फिर भी, संबंधित अवधारणाएँ हैं। आमतौर पर अधिवास किसी व्यक्ति के निजी जीवन जैसे विवाह, वैधता और उत्तराधिकार जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं में अधिकार क्षेत्र के आधार के रूप में कार्य करता है। लेकिन दूसरी ओर निवास कराधान, वोट देने का अधिकार, वैवाहिक प्रश्न के कुछ पहलुओं और आम तौर पर ऐसे मामलों में जहां सार्वजनिक अधिकार शामिल होते हैं, क्षेत्राधिकार के आधार के रूप में कार्य करता है।

उपरोक्त के मद्देनजर, राष्ट्रीयता में परिवर्तन या एक देश से दूसरे देश में अधिवास में परिवर्तन के संदर्भ में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचारित "अधिवास" की अवधारणा को वर्तमान मामले में लागू नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, "अधिवास" और "निवास" सापेक्ष अवधारणाएं हैं और उन्हें उस संदर्भ में समझा जाना चाहिए जिसमें उनका उपयोग किया जाता है, उस कानून की प्रकृति और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जिसमें इन शब्दों का उपयोग किया जाता है। हम मुख्य रूप से निर्देशों के पैराग्राफ 5 के नोट में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "सामान्य रूप से निवासरत" और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "सामान्य रूप से निवासी" से चिंतित हैं। यह अधिनियम और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 दोनों चुनावी मामलों से संबंधित हैं जिनमें निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, चुनाव लड़ने का अधिकार और एक निर्वाचन क्षेत्र में वोट देने का अधिकार भी शामिल है।

हमने पूर्व में ही "सामान्य रूप से निवासरत" शब्दों का अर्थ समझाया है और पाया है कि प्रत्यर्थी के माता- पिता एक समय में बिहार राज्य के सिवान जिले के एक गाँव में रहते थे और उनके पास वहाँ कुछ संपत्ति भी थी, वह बहुत पहले पश्चिम बंगाल राज्य में स्थानांतरित हो गए थे और तब से वहीं रह रहे थे। इसलिए, सभी इरादों और प्रयोजनों के लिए, उन्हें "पश्चिम बंगाल राज्य में सामान्यतः निवासरत" माना जाएगा। पश्चिम बंगाल राज्य के लिए, राष्ट्रपति ने, अनुच्छेद 341(1) सपठित अनुच्छेद 366(24) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ने पहले ही "नूनिया" जाति को अनुसूचित जाति घोषित कर दिया था और इसलिए, प्रत्यर्थी को अनुसूचित जाति का उम्मीदवार माना गया और उसे यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा भारतीय प्रशासनिक एवं संबद्ध सेवाओं, 1966 में सफल घोषित होने के बाद एक आरक्षित रिक्ति के खिलाफ नियुक्त किया गया।

हमें ट्रिब्यूनल द्वारा पारित फैसले में कोई खामी नहीं मिली, अतः उसे बरकरार रखा गया है। अपील गुणावगुण के अभाव में खारिज की जाती है, परंतु कॉस्ट के सम्बंध में कोई आदेश नहीं किया जाता है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी कार्तिका गेहलोत (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।